JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में पर्यावरणीय सक्रियतावाद : 21वीं सदी के विशेष संदर्भ में

लेखक

प्रो.विजय कुमार राय
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज

रजनीश कुमार पाण्डेय (शोधार्थी)
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज

शोध सार

भारत प्राचीन काल से ही विविधताओं वाला देश रहा है और यह विविधता मात्र सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं रही अपितु जैविक क्षेत्र में भी रही है। प्राचीन भारतीय साहित्य एवं परंपराओं में नदी, जंगल, पहाड़ों, वृक्षों एवं जीव-जंतुओं आदि को देवी-देवताओं के रूप में मानकर या उनसे संबंधित मानकर उनका संरक्षण किया जाता रहा है तथा भारतीय साहित्य में पृथ्वी को मां का दर्जा दिया गया है। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण भारत में निवास करता है तथा अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी रूप में जंगल, नदियों, पहाड़ों एवं वनोपज पर आश्रित है अतः इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए ग्रामीण जनमानस सदैव सजग रहा है। वर्तमान समय में भारत समेत विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण की समस्याओं से प्रभावित है, जैसे- वैश्विक तापन, ओजोन परत क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव इत्यादि। पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं अत्यधिक औद्योगीकरण एवं अनियोजित विकास का परिणाम हैं। 1947 में भारत जब उपनिवेशवादी शासन से स्वतंत्र हुआ तब राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष गरीबी, भुखमरी अल्प-विकास, अशिक्षा आदि विकट समस्याएं विद्यमान थीं। इन समस्याओं से निपटने व विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए भारत को तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता थी अतः नीति निर्माताओं द्वारा भारी औद्योगिकीकरण का मॉडल अपनाया गया। इस विकास मॉडल के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष रहे। पर्यावरणीय क्षय, पारिस्थितिकीय असंतुलन के साथ-साथ मानवीय विस्थापन आदि समस्याएं इस विकास मॉडल से उभरकर सामने आई। इन समस्याओं से निपटने एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तर पर कार्य किया जाता रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में यह विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है कि भारत में पर्यावरणीय सक्रियतावाद के क्या सकारात्मक प्रभाव रहे हैं तथा यह किस सीमा तक पर्यावरण को संरक्षित व संवर्धित करने में सफल रहा है।

शब्द कुंजी : पर्यावरणीय सक्रियतावाद, पर्यावरणीय आन्दोलन, गैर-सरकारी संगठन (NGO), स्वयं सहायता समूह।

शोध प्रविधि:

प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। सूचनाओं के लिए द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे- समाचार पत्र-पत्रिकाएं पुस्तकें शोध पत्र, ऑनलाइन वेबसाइट्स आदि।

परिचय : पर्यावरणीय सक्रियतावाद के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों, गैर-सरकारी संगठनों, मानवाधिकार समूहों आदि के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। भारत में पर्यावरणीय सक्रियतावाद को मुख्यतः पर्यावरण आंदोलनों के रूप में देखा जाता है। प्रारंभिक चरण में (1970-80 के दशक में) भारत का पर्यावरणीय सक्रियतावाद अपने पश्चिमी रूप से

भिन्न रहा है। जहाँ पश्चिम में पर्यावरणीय सक्रियतावाद का मुख्य केंद्र 'संरक्षण और सुरक्षा' रहा है, वहीं भारत में पर्यावरणीय सक्रियतावाद मुख्यतः संसाधन 'उपयोगिता संरक्षणवाद' पर बल देता है।

21वीं सदी से पूर्व भारत में पर्यावरणीय सक्रियतावाद :

आधुनिक काल में 1973 के चिपको आंदोलन से पर्यावरणीय सक्रियतावाद का औपचारिक सूत्रपात माना जा सकता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 24 अप्रैल 1973 को उत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तराखंड) के चमोली जिले से हुई। इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि वन संसाधनों पर स्थानीय ग्रामीण जनता का अधिकार हो तथा वनों का व्यावसायिक दोहन बंद किया जाए। यह आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा तथा 1980 में हिमालय क्षेत्र के हरित वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई। दक्षिण भारत में 1978 में केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित खामोश घाटी (साइलेण्ट वैली) की जैव विविधता को बचाने के लिए एक गैर-सरकारी संगठन, केरल शास्त्र साहित्य परिषद (KSSP), द्वारा आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन इस घाटी से होकर गुजरने वाली कुंतीफूजा नदी पर बनने वाले बाँध व जल विद्युत परियोजना के विरुद्ध था। यह आंदोलन भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है तथा 1984-85 में शांत घाटी को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देकर इसे संरक्षित कर दिया गया। चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में वृक्षों को काटे जाने से रोकने के लिए साकनी गांव की महिलाएं, पुरुष व बच्चे वृक्षों से चिपक गए ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। यह आंदोलन भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। इसी प्रकार 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन एक महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन है जो किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी चल रहा है। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले कई छोटे और बड़े बांधों के विरुद्ध शुरू हुआ क्योंकि इन बांधों के कारण भारी मात्रा में मानवीय विस्थापन एवं नर्मदा घाटी में पारिस्थितिकीय असंतुलन अवश्यम्भावी था। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार संगठनों का ध्यान आकर्षित किया।

21वीं सदी में भारत में पर्यावरणीय सक्रियतावाद :

1990 के दशक में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एल.पी.जी. सुधार) की शुरुआत होती है। जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापार, वाणिज्य, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया परिणाम स्वरूप भारत के दूर-दराज के इलाकों तक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाने लगी। एल.पी.जी. सुधारों के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम मुख्यतः 21वीं सदी में सामने आए। उदारीकरण के पूर्व पर्यावरणीय सक्रियतावाद जहां जल-जंगल-जमीन, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों के अधिकार, मानवीय विस्थापन व सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों से अधिक संबंधित था वहीं 21वीं सदी में इन मुद्दों के साथ-साथ प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विकतापन जैसे नए मुद्दे भी सम्मिलित हो गए। इन मुद्दों के संदर्भ में 21वीं सदी में पर्यावरणविदों, गैर सरकारी संगठनों (NGO's), विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी छात्र-छात्राओं, नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ता समूहों आदि के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा स्वच्छ पर्यावरण में जीने के मौलिक अधिकार के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय आंदोलन चलाए गए जो कि भिन्न-भिन्न प्रकार के मुद्दों पर आधारित रहे। इनमें से कुछ प्रमुख आंदोलन निम्नवत् हैं-

कोका-कोला के विरुद्ध पलाचीमाड़ा संघर्ष : पलाचीमाड़ा गांव दक्षिणी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक आदिवासी बहुल गांव है। यहां सरकार की अनुमति से कोका-कोला कंपनी की एक शाखा जनवरी 2000 में स्थापित की गई तथा उसे प्रतिदिन 5 लाख 61 हजार लीटर पेय बनाने की अनुमति दी गई। प्रत्येक लीटर पेय बनाने के लिए 3.8 लीटर पानी की आवश्यकता थी अत: प्रतिदिन लगभग 2 मिलियन लीटर भूमिगत जल निकाला जाने लगा एवं उत्पादन के दौरान निकले रासायनिक अपशिष्टों को बिना किसी उपयुक्त निष्पादन प्रणाली के आसपास के तालाबों व सड़कों के किनारे फेंका जाने लगा परिणाम स्वरूप स्थानीय ग्रामीणों ने पानी के रंग बदलने एवं खाने-पीने के प्रयोग लायक ना रहने की शिकायत की। सी.के.जानू के नेतृत्व में एंटी कोका- कोला पीपल्स स्ट्रगल कमेटी का गठन किया गया तथा इस समिति के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासियों ने 22 अप्रैल 2002 को कंपनी बंद कराने के लिए कंपनी के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की। यह संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा और अंततः अगस्त 2005 से कंपनी में उत्पादन कार्य बंद कर दिया गया।

गुजरात का महुआ आंदोलन : महुआ आंदोलन की शुरुआत 2008 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नामक स्थान पर निरमा लिमिटेड कंपनी को सीमेंट बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस दिए जाने के साथ प्रारम्भ हुआ। यह क्षेत्र पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। कंपनी ने गलत सूचना देकर पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त किया था जिसके विरुद्ध श्री महुआ बंधारा खेती-

बाड़ी पर्यावरण बचाओ समिति (SMBKPBS) द्वारा शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई। इसके पश्चात् अदालत ने अपनी जॉच पडताल में कंपनी को दोषी पाया और कंपनी को औद्योगिक इकाई खोलने के लिए दी गई स्वीकृति को रद्द कर दिया गया।

पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, कोयंबटूर : तमिलनाडु राज्य के तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के नेतृत्व में वर्ष 2012 में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन शुरु किया गया। यह एक जागरूकता आंदोलन है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को दो पेड़ लगाने एवं स्वयंसेवियों को विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने से संबंधित कार्यक्रमों को शामिल किया गया।

दिहिंग-पटकई बचाओ आन्दोलन : दिहिंग-पटकई असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित वर्षा वन है। इसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। 7 अप्रैल 2020 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (NEC) को दिहिंग- पटकई वन क्षेत्र में कोयले के खनन की अनुमति दी गई जिसके विरुद्ध कोरोना महामारी के समय में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (AASU) तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ऑनलाइन विरोध अभियान प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में छात्र-छात्राओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सूचना के अधिकार के माध्यम से इस बात का भी खुलासा किया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही (2003 से) दिहिंग-पटकई वन क्षेत्र में खनन कार्य कर रही है। अतः यदि एक और खनन इकाई को अनुमति दी गई तो यह दिहिंग-पटकई वर्षावन की पारिस्थितिकी को गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा। अतः कंपनी के विरुद्ध देशभर में व्यापक स्तर पर ऑनलाइन आंदोलन संचालित किया गया तथा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ द्वारा नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स को प्रदान की गई अनुमति के विरुद्ध गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। न्यायालय ने अनुमति को पर्यावरण के प्रतिकूल पाया तथा दिहिंग- पटकई वनक्षेत्र में होने वाली खनन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। बाद में दिसंबर 2020 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया।

'आरे जंगल' बचाओ आंदोलन : आरे जंगल मुंबई शहर के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसे ग्रीन लंग्स ऑफ मुंबई भी कहा जाता है। अगस्त 2019 में मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को आरे जंगल क्षेत्र में मेट्रो 3-कार शेड बनाने की अनुमति दी गई जिसके लिए भारी मात्रा में पेड़ों का काटा जाना आवश्यक था। इसके विरोध में 1 सितंबर 2019 को पर्यावरणविदों, छात्र-छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं नागरिक संगठनों द्वारा हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर रैलियां निकाली गई तथा अपना विरोध दिखाने के लिए एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है किंतु 4अक्टूबर 2019 की रात को बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा लगभग 2000 पेड़ों को काट दिया गया जिसके विरोध में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आरे जंगल में बैठ कर प्रदर्शन किया फलतः 6 अक्टूबर तक कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए तथा धारा 144 लागू कर दी गई। इसी दौरान महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा कार-शेड के निर्माण पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई जिससे आरे जंगल के बचे रहने की एक उम्मीद जगी है।

सुंदरवन बचाओ आंदोलन : सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इसका 60% से अधिक भाग बांग्लादेश के अंतर्गत तथा बाकी हिस्सा भारत के अंतर्गत आता है। यह वन बंगाली चीतों व खारे पानी के मगरमच्छों के साथ कई दुर्लभ जीव-जंतुओं का आवास है किंतु पिछले कई सालों से जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि व लगातार आने वाले चक्रवातों के कारण यह क्षेत्र जलमग्न होने की ओर अग्रसर है। मई 2020 में आए अम्फान चक्रवात ने वन में भारी तबाही मचाई जिसके पश्चात् भारत तथा बांग्लादेश दोनों देशों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से इस वन क्षेत्र को बचाने के लिए पर्यावरणविदों, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक संगठनों द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक : सामाजिक कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध आवाह्न किया जाने पर सितंबर 2019 में देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई आदि जगहों पर छात्र-छात्राओं द्वारा जलवायु परिवर्तन के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया ताकि देश की सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रगतिशील नीतियां बनाई जा सके। इस आंदोलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति जनमानस को जागरूक करना भी था।

बकस्वाहा जंगल बचाओ आंदोलन: बकस्वाहा जंगल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस जंगल की जमीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है इन हीरों को निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर जंगल को खत्म किया जाएगा जिससे 2 लाख से अधिक हरे पेड़ों को काटा जाएगा। इनमें सागौन, पीपल, तेंदू, बहेड़ा, अर्जुन जैसे कई प्रकार के मूल्यवान पेड़ों की प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में देशभर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं, नागरिक समूहों द्वारा इस जंगल को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर व्यापक स्तर पर आंदोलन चल रहा है।

पर्यावरणीय सक्रियातावाद का नीति- निर्माण पर प्रभाव : यह चिपको आंदोलन का प्रभाव ही था कि जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया तो पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन को प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान में जोड़ा गया जिसमें झील, वन, नदियां और वन्य-

जीवों का संरक्षण सम्मिलित किया गया। तथा आगे चलकर 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई। भोपाल गैस त्रासदी के विरुद्ध हुए आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। 21वीं सदी की नवीन चुनौतियां का सामना करने के लिए तथा स्वच्छ पर्यावरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2006 में नई राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अपनाई गई तथा आगे चलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना लागू की गई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता रहा है।

निष्कर्ष : उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में पर्यावरणीय सक्रियतावाद का विकास पर्यावरणीय आंदोलनों के साथ-साथ हुआ है। ये आंदोलन नागरिकों के जीवन और उनकी प्रतिष्ठा के संघर्षों के प्रतीक हैं। ये आंदोलन मात्र वंचित वर्गों से संबंधित नहीं है अपितु समाज का प्रत्येक वर्ग इन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है क्योंकि पर्यावरण क्षय से समाज का प्रत्येक पर प्रभावित होता है। पर्यावरणीय सक्रियता वाद का सबसे प्रमुख पक्ष यह रहा है कि इसने जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, संप्रदाय, भाषा आदि स्तरों में विभाजित भारतीय समाज को एकजुट करने में सफल रहा है। आज विकास के नाम पर हो रहे अंधाधुंध औद्योगीकरण से होने वाले पर्यावरणीय क्षय तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य गैर-सरकारी संगठनों व मानवाधिकार संगठनों द्वारा किया जा रहा है। पर्यावरणीय सक्रियतावाद ने जमीनी स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने का कार्य किया है क्योंकि इसके माध्यम से नीति निर्माण में आम जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

संदर्भ सूची-

1. सिंह, ए. (2015), 'समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आन्दोलन', ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्रकाशन, तेलंगाना।
2. रंगराजन, एम. (2007), 'एन्वायरनमेंटल इश्यूज इन इण्डिया', पिपर्सन इण्डिया एजुकेशन सर्विस, नोएडा।
3. करन, पी.पी.(1994), 'एन्वायरनमेंटल मूवमेंट्स इन इण्डिया', ज्योग्राफिकल रिव्यू, वोल्यूम 84:32
4. रानी, एन. (2018), 'ऑनलाइन मीडिया एण्ड एन्वायरनमेंटल एक्टिविज्म: स्टडी ऑफ इणियन एन्वायरनमेंटल मूवमेंट्स', आई ओ एस आर जर्नल ऑफ ह्यूमेनिटीज एण्ड शोसल साइंस, 23:09-15
5. नायक, ए .(2015), 'एन्वायरनमेंटल मूवमेंट्स इन इण्डिया', जर्नल ऑफ डेवेलपिंग सोसायटीज, वोल्यूम 31:249-280
6. https://blog.ipleaders.in/environmental-activism-india/
7. https://www.epw.in/journal/2006/41/insight/keralas-plachimada-struggle.html
8. https://www.northeasttoday.in/2020/08/17/dehing-patkai-amazon-of-the-east-two-sides-of-the-story/
9. https://newint.org/features/2021/02/08/view-india
10. https://www.thequint.com/amp/story/news/environment/save-buxwaha-protest-to-save-2-lakh-trees-in-chhatarpur-buldelkhand-forest-bunder-diamond-block